रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1256] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2011/आषाढ़ 10, 1933
No. 1256] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2011/ASADHA 10, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2011

सं 58 (आर ई-2010)/2009-2014

विषय : कपास ऋतु 2010-11 के दौरान कपास के निर्यात पर मात्रा प्रतिबंध से यार्न अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक [आई टी सी (एच एस) कोड 5202] सहित कपास अपशिष्ट के निर्यात हेतु छूट ।

का.आ. 1525(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या 32 (आर ई-2010)/2009-2014 दिनांक 14-3-2011 तथा अधिसूचना संख्या 12 (आर ई-2010)/2009-2014 दिनांक 16-12-2010 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 57 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 9-6-2011 में संशोधन करती है ।

2. अधिसूचना संख्या 12 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 16-12-2010 द्वारा अध्याय-52 के तहत निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की क्रम सं. 161क (प्रशुल्क कोड 5201, 5202 और 5203) के अधीन कपास का निर्यात "मुक्त" निर्धारित किया गया है । इस अधिसूचना में, इन सभी तीनों कोडों के संबंध में "प्रतिबंध का स्वरूप" यह था कि "कपास के निर्यात की संविदाएं पोतलदान से पूर्व विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास पंजीकृत की जाएंगी । सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कपास के खेप की निकासी, यह जाँचने के बाद कि संविदा पंजीकृत कर ली गई हैं, की जाएंगी ।" अधिसूचना संख्या 12 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 16-12-2010 में आने वाले "प्रतिबंध के स्वरूप" को अधिसूचना संख्या 32 (आर ई-2010)/2009-2014 दिनांक 14-3-2011 के माध्यम से संशोधन किया गया था । प्रतिबंध के स्वरूप में यह जोड़ा गया था कि कपास ऋतु 2010-11 (30-9-2011 तक) के दौरान कपास का निर्यात 55 लाख गाँठों की अधिकतम सीमा अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित सीमा के अधीन होगा । इसके बाद, अधिसूचना संख्या 57 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 9-6-2011 द्वारा कपास ऋतु 2010-2011 (30-9-2011 तक) के दौरान कपास के निर्यात की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 65 लाख गाँठें कर दिया गया था, इस प्रकार 30-9-2011 तक कपास की अतिरिक्त 10 लाख गाँठों के निर्यात की अनुमति होगी ।

3. यह निर्णय लिया गया है कि कपास ऋतु 2010-11 (30-9-2011 तक) के दौरान निर्यात पर लगा अतिरिक्त 10 लाख गाँठों की सीमा, सिर्फ प्रशुल्क कोड 5201 और 5203 पर लागू होगी । यार्न अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक (प्रशुल्क कोड-5202) सहित कपास अपशिष्ट के निर्यात पर यह सीमा लागू नहीं होगी ।

4. इस अधिसूचना का प्रभाव :—

यार्न अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक [आई टी सी (एचएस) कोड 5202] सहित कपास अपशिष्ट के निर्यात पर 10 लाख गाँठों की सीमा लागू नहीं होगी । तथापि, ठेके को विदेश व्यापार महानिदेशालय से पंजीकृत करवाने से संबंधित शर्त जारी रहेगी ।

[फा. सं. 01/91/180/1194/एएम 10/एक्सपोर्ट सेल]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2011

No. 58 (RE-2010)/2009-2014

Subject : Exemption for export of cotton waste including yarn waste and garneted stock [ITC (HS) Code 5202] from the quantity restriction on export of cotton during Cotton Season, 2010-11.

S.O. 1525(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby amends notification No. 57 (RE-2010)/ 2009-2014 dated 9-6-2011 read with Notification No. 32 (RE-2010)/2009-2014 dated 14-3-2011 and Notification No.12 (RE-2010)/2009-2014 dated 16-12-2010.

2. Notification No. 12 (RE-2010)/2009-2014 dated 16-12-2010 stipulated that export of cotton under chapter 52, serial number 161A (Tariff Codes 5201, 5202 and 5203) of ITC (HS) classification of export and import items, will be "free". In this notification, nature of restrictions against all the three codes was that "the contracts for export of cotton shall be registered with the Directorate General of Foreign Trade prior to shipment. Clearance of cotton consignments by customs should be after verifying that the contracts have been registered". The "Nature of Restrictions" as appearing in Notification No. 12 (RE-2010)/2009-2014 dated 16-12-2010 was amended through Notification No. 32 (RE-2010)/2009-2014 dated 14-3-2011. In the nature of restrictions it was added that export of cotton for the cotton season 2010-11 (upto 30-9-2011) will be subject to a cap of 55 lakh bales or as notified by DGFT from time to time. Subsequently, through Notification No. 57 (RE-2010)/2009-2014 dated 9-6-2011, the cap on export of cotton for the cotton season 2010-11 (upto 30-9-2011) was raised to 65 lakh bales, thereby allowing export of additional 10 lakh bales of cotton, upto 30-9-2011.

3. It has been decided that the cap of additional 10 lakh bales, on export of cotton during the cotton season 2010-11 (upto 30-9-2011), will apply only to Tariff Codes 5201 and 5203. This cap shall not apply to export of cotton waste including yarn waste and garneted stock (Tariff Code 5202).

4. The effect of this notification :—

Cap of 10 lakh bales will not be applicable to export of cotton waste including yarn waste and garneted stock [ITC(HS) Code 5202]. However, condition regarding registration of contracts with DGFT will continue to apply.

[F. No. 01/91/180/1194/AM 10/ Export Cell]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.